राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 18 (2) शिक्षा–4/2019

जयपुर, दिनाकः 30.03.2020

कार्यालय आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविट–19) को वैश्विक महामारी घोषित करने के फलस्वरूप कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 31 मार्च, 2020 तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोडकर पूर्ण बन्द घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा भी इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये सम्पूर्ण भारत वर्ष में दिनांक 25 मार्च, 2020 से 21 दिवस के लिये पूर्ण बन्द घोषित किया गया है। फलस्वरूप उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर आदेश जारी कर विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य एवं प्रायोगिक व सैद्धान्तिक परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः प्रदेश के **सभी निजी विश्वविद्यालयों एवं निजी उच्च शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों** को निर्देशित किया जाता है कि वे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों, दिशानिर्देशों एवं एडवाईजरी की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करें। इस हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के दिशानिर्देशानुसार अत्यावश्यक घोषित सेवाओं को छोड़कर बन्द अवधि के दौरान शिक्षकों/कार्मिकों से work from home के आधार पर कार्य लिया जावे तथा वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय आधार पर **किसी भी शिक्षक/कार्मिक के वेतन में कोई कटौती/कमी नहीं की जाए।**

ह0
(शुचि शर्मा)
शासन सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. प्रेसिडेण्ट/कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
6. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग।
7. वेबसाई टप्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

30.3.2020
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा